उत्तर प्रदेश पुलिस

"सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा"

प्रेस नोटः साइबर क्राइम थाना

जनपद अमेठी।

दिनांक- 29.06.2025

Cyber Fraud Help Line No. 1930

पुलिस अधीक्षक जनपद अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री अखिलेश वर्मा के कुशल नेतृत्व में सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी करने वाले संगठित गिरोह के मास्टरमाइण्ड सहित अन्तर्राज्यीय 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण- वादी आशीष विक्रम सिंह पुत्र दिनेश प्रताप सिंह निवासी ग्राम अग्रेसर त्रिशुण्डी थाना रामगंज जनपद अमेठी को माह अगस्त 2024 को उनके फेसबुक एकाउण्ट पर एक लिंक आया जिसको वादी द्वारा क्लिक कर ओपन किया गया। लिंक ओपन करते ही वादी के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। वादी द्वारा व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई किया गया। रिप्लाई के दौरान व्हाट्सएप पर ही टेलीग्राम का लिंक पीड़ित को प्राप्त हुआ। इस लिंक को क्लिक करने पर पीड़ित सोशल मीडिया प्लेटफार्म टेलीग्राम पर आ गया जहां पर फ्रॉडस्टर्स द्वारा टास्क कम्प्लीट करने के लिये बोला गया। वादी द्वारा जब टास्क कम्प्लीट किया गया तो उसे रिवार्ड के रूप में 10,000/-(दस हजार रुपये) मिले और इसके बाद वादी द्वारा और टास्क कम्प्लीट किये गये। अग्रिम राउण्ड में वादी का बैलेंस माइनस में प्रदर्शित होने लगा जिसको पूर्ण करने हेतु वादी द्वारा और धनराशि जमा की गयी इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए वादी को फ्राडस्टर्स द्वारा कई प्रकार से प्रलोभित किया गया। अन्ततोगत्वा वादी द्वारा 15,84,100/- रुपये (पन्द्रह लाख चौरासी हजार एक सौ रुपये) फ्रॉडस्टर्स के विभिन्न खातों में जमा कर दिये गये।

वादी की तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस थाना पर मु0अ0सं0 13/24 धारा 316(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस व 66D सू0 प्रौ0संशोधन अधि0 2008 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए एसटीएफ साइबर सेल मुख्यालय जनपद लखनऊ से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया गया और एसटीएफ साइबर सेल व प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल जनपद अमेठी श्री राजेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से कार्य करते हुए सन्दर्भित अभियोग से सम्बन्धित मास्टरमाइंड 1.शिवांश मिश्रा पुत्र शैलेन्द्र प्रसाद मिश्रा उम्र करीब 22 वर्ष निवासी देवांता हास्पिटल के पीछे शौकी मोहल्ला गणेशगंज थाना सहडोल म0प्र0, 2.रवि सिंह पुत्र श्री विनोद सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी गांधी स्टेडियम के पीछे वार्ड नं0 06 थाना सहडोल म0प्र0, 3. उमाशंकर तिवारी पुत्र बालमुंकुद तिवारी उम्र करीब 43 वर्ष निवासी म0नं0 275 नई बस्ती बाग मुगलिया थाना बागसेवनियाँ भोपाल म0प्र0 को थानाक्षेत्र बागसेवनिया जनपद भोपाल, मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया कि शिवांश मिश्रा व रवि सिंह आपस में मित्र हैं व उमाशंकर तिवारी, शिवांश मिश्रा के मामा हैं। वर्तमान समय में शिवांश मिश्रा व रवि सिंह भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल से बीफार्मा की पढ़ाई कर रहे है। वर्ष 2023 में शिवांश मिश्रा व रवि सिंह ने आई0जी0टी0 सैल्युशन भोपाल के काल सेन्टर में नौकरी की थी। वहीं पर शिवांश मिश्रा व रवि सिंह की जान पहचान जुबेरखान से हुई थी। जुबेरखान ने सैफखान से मिलवाया था, सैफखान ने ही शिवांश मिश्रा व रवि सिंह की मुलाकात अनिल नायक से कराई थी, जो बैंक खाते किराये पर लेता है। प्रत्येक बैंक खाते की किट (एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, बैंक खाते से रजिस्टर्ड सिमकार्ड, इंटरनेट बैकिंग का आईडी पासवर्ड व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी) 15,000/- रु में व उन बैंक खातों में जो भी रूपये आते थे उसका भी कमीशन देता था। जिस पर शिवांश मिश्रा व उसके मामा उमाशंकर तिवारी व रवि सिंह व दिव्यांशू मिश्रा उर्फ रग्घू निवासी शहडोल मध्य प्रदेश मिलकर लोगों से उनकी आईडी व कुछ एक मामलों में फर्जी कागज तैयार करके विभिन्न बैंकों में एकाउण्ट खुलवाते थे। बैंक खाता खुल जाने पर उस खाते की किट (एटीएम कार्ड, पासबुक,

चेकबुक, बैंक खाते से रजिस्टर्ड सिमकार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी) अनिल नायक व उसके भाई अमित नायक को देते थे। प्रति एकाउण्ट किट के हिसाब से 15 हजार रुपये अनिल नायक व अमित नायक से उसको प्राप्त होते थे। अमित नायक व अनिल नायक साइबर ठगी/टास्क फ्रॉड का रूपया इन बैंक खातो में जमा कराते थे। इन बैंक खातों में ठगी से जो रुपया आता था, उसे हम लोग एटीएम कार्ड व चेक के माध्यम से कैश में निकाल कर अनिल नायक व अमित नायक को देते थे, जिसका हमें कमीशन मिलता था। हम लोगों द्वारा लगभग 50 बैंक खाते पिछले एक वर्ष में अनिल नायक व अमित नायक को उपलब्ध कराये गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दी गयी जानकारी के माध्यम से गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शिवांश मिश्रा पुत्र शैलेन्द्र प्रसाद मिश्रा उम्र करीब 22 वर्ष निवासी देवांता हास्पिटल के पीछे शौकी मोहल्ला गणेशगंज थाना सहडोल म0प्र0, शिक्षा – बी.फार्मा (मास्टरमाइण्ड)
2. रवि सिंह पुत्र श्री विनोद सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी गांधी स्टेडियम के पीछे वार्ड नं0 06 थाना सहडोल म0प्र0, शिक्षा – बी.फार्मा।
3. उमाशंकर तिवारी पुत्र बालमुंकुद तिवारी उम्र करीब 43 वर्ष निवासी म0नं0 275 नई बस्ती बाग मुगलिया थाना बागसेवनियाँ भोपाल म0प्र0।

बरामदगी-

1- 03 अदद मोबाइल फोन।
2- 16 अदद डेबिट कार्ड।
3- 15 अदद चेक बुक।
4- 359 वर्क साइबर ठगी से सम्बन्धित व्हाट्सएप चैटिंग के स्कीनशॉट
5- 09 अदद पास बुक।
6- 01 अदद पैन कार्ड।
7- 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।
8- 01 अदद आईडी कार्ड आई0जी0टी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद अमेठी।
2. आरक्षी बलबीर कश्यप साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद अमेठी।
3. एसटीएफ साइबर टीम मुख्यालय जनपद लखनऊ।

बचाव के उपाय –

- ***किसी भी अन्जान नम्बर से आयी कॉल/वीडियो कॉल/एसएमएस व सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म्स पर किसी भी अन्जान व अपुष्ट विज्ञापन अथवा लिंक पर क्लिक न करें अथवा न ही किसी के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी(आधार कार्ड व पैन कार्ड व अन्य पहचान पत्र आदि)/बैंक डिटेल साझा न करें। किसी प्रकार की कोई OTP/ATM PIN/ CVV/ MOBILE BANKING/INTERNET BANKING PASSWORD आदि साझा न करें। यह एक जाल हो सकता है जिससे साइबर अपराध हो सकता है।***

जागरूकता ही उचित उपाय है।

****नोटः साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।****